फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्री राजेन्द्र कुमार जैन वगै0 **बनाम** सुर्यप्रकाश सुखवाल

किस्म मुकदमा ....प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट...न. 90 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
31.05.2017	पत्रावली पेंश हुई वकील वादी उपस्थित प्रार्थीगण द्वारा प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम रायला पटवार हल्का रायला भू0अ0निरीक्षक रायला तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित **खाता स0 1589 कि आराजी न0 799/1 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा** आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुतिकरण की स्टेज पर बहस करनी चाहने से, बहस एकपक्षीय सुनी गई । प्रार्थीगण विवादित आराजीयात पर काबिज होकर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, किन्तु विपक्षी व प्रार्थीगण की आराजीयात के उत्तर दिशा का पडौसी होकर विपक्षी की आराजी संख्या 799 के मध्य कोई सीमा चिन्ह अथवा बाड नही होकर सटमा है। जिससे विपक्षी की नियत मे फितूर आ जाने से अपने बाहुबल व भुजबल से आये दिन प्रार्थीगण की आराजीयात पर कब्जा करके निमार्ण करने पर आमादा है। जिनका विपक्षी कोई हक अधिकार नही है। यदि भविष्य में विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण की आराजीयात पर कब्जा कर निर्माण आदि करते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षती होगी एंव वाद व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य ही नही रह जावेगा। प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात पर जबरन कब्जा कर निर्माण कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है। अतः प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात ग्राम रायला पटवार हल्का रायला भू0अ0निरीक्षक रायला तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित **खाता स0 1589 कि आराजी न0 799/1 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा** में मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षी को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी पैशी दिनांक तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। यह आदेश विपक्षीगणो को विधिवत तामील होने तक प्रभाव में रहेगा। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को जरिये सम्मन/नोटीस तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 12.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम रायला में पैश हो। उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा	